फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर
उनवान सतीश कुमार पुत्र रूडाराम बनाम पंजाब नेशनल बैंक
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र रिव्यू नम्बर 15/72/2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.21	आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी सतीश कुमार उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी (पंजाब नेशनल बैंक) के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी (पंजाब नेशनल बैंक) वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, तथा अप्रार्थी को सुना गया। प्रकरण संख्या 15/23/2019 अनुवान पंजाब नेशनल बैंक बनाम रूडा राम वगैरा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को निर्णित किया जा चुका है—जिसके पश्चात् रूडाराम ने डी0आर0टी0 में प्रार्थना पत्र लगाया गया जिसमें दिनांक 09.11.2020 को 2,50,000 रूपये जमा कराने बाबत आदेश पारित किये गये थे, जिसे रूडाराम के द्वारा राशि जमा नहीं कराये व दिनांक 10.02. 2021 को डी0आर0टी0 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि रूडाराम के विरूद्व वसूली हेतु बैंक स्वतंत्र है। साथ ही सतीश के द्वारा प्रार्थना पत्र गलत आधार पर पेश किया है जो उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है, जिसरो प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। हमनें प्रार्थना पत्र का अलवोकन किया एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात एवं अप्रार्थी (पंजाब नेश्नल बैंक) वकील द्वारा पेश दस्तावेजात का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेश्न एक्ट का स्त्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बावत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2019 से आहत है तो वह डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। रूडाराम मीणा (प्रकरण में अप्रार्थी) द्वारा डी0आर0टी0 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 10.02.2021 को डी0आर0टी0 के द्वारा आदेश पारित किया गया कि रूडाराम के विरूद्व वसूली हेतु बैंक स्वतंत्र है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01. 10.19 में किसी भी प्रकार का संशेधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र रूडाराम मीणा (प्रकरण में अप्रार्थी) जाति मीणा निवासी कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12—04—2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर,अलवर। जिला कलक्टर अलवर (राज0)	